राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1308/2017...जिला...........जयपुर..

उनवान – मैसर्स अनुराग एन्टरप्राईजेज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनेस ऑडिट–I, जोन–I, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2017	**खण्डपीठ कैम्प–जयपुर** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनेस ऑडिट–I, जोन–I, जयपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 19ए, 55, व 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 के अन्तर्गत अरोपित कुल मांग राशि रूपये 45,49,718/– की मांग सृजित की गई है। उक्त मांग राशि को स्थगित करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने कुल मांग राशि 45,49,718/– में से राशि रूपये 36,33,000/– को स्थगित करते हुए शेष मांग राशि 9,16,718/– पर स्थगन देने से इन्कार किया है, जिसके विरूद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शेष मांग राशि रूपये 9,16,718/– पर स्थगन नहीं देने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होने से उन्होंने शेष मांग राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया है। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा auto switch निर्माण किया जाता है, जो कि कम बिजली पर मोटर को बचाता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने auto switch को Delta Starter का पार्ट्स मानकर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे Delta Starter का पार्ट्स नहीं मानकर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर करारोपण किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने शेष मांग राशि रूपये 9,16,718/– पर स्थगन प्रदान नहीं करने के संबंध में किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया है। लगातार................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1308 / 2017...जिला...........जयपुर......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 / 09 / 2017	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह पीठ प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा चाहा गया स्थगन राशि रूपये 9,16,718 / — पर **एक माह** के लिए स्थगन इस शर्त पर प्रदान करती है कि स्थगित राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वत: ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के एक **माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **(मदनलाल मालवीय)** **सदस्य** **(के.एल.जैन)** **सदस्य**	